भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2146

(जिसका उत्तर सोमवार, 05 अगस्त, 2024/14 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाना है।)

"अंतरिक्ष उद्योग के लिए जीएसटी में छूट"

2146. **श्री वसंतराव बलवंतराव चव्हाण:**

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

श्री सुधीर गुप्ता:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतरिक्ष उद्योग ने सरकार से प्रक्षेपण यानों के पुर्जों के लिए जीएसटी में छूट, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) और अधिक निधि की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भारतीय अंतरिक्ष संघ (आईएसपीए) और सैटकॉम उद्योग संघ, औद्योगिक निकायों ने नए निजी क्षेत्र के लिए अग्रणी ग्राहक के रूप में अंतरिक्ष क्षेत्र पर अधिक सरकारी व्यय की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा अंतरिक्ष उद्योग को क्या-क्या वित्तीय छूट प्रदान की गई है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (पंकज चौधरी)

(क) से (घ): बजट-पूर्व प्रस्तावों के हिस्से के रूप में, कुछ संघों ने निजी उपग्रह प्रक्षेपण सेवा प्रदाताओं के लिए जीएसटी छूट, उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं और अंतरिक्ष उद्योग के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग की है।

जीएसटी के संबंध में, यह उल्लेख किया जाता है कि जीएसटी दरें और छूट जीएसटी परिषद की सिफारिश पर आधारित हैं, जो एक संवैधानिक निकाय है जिसमें संघ और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में की गई सिफारिश के आधार पर, 27.07.2023 से, निजी उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं सहित सभी उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को पहले से ही 26 जुलाई, 2023 की जीएसटी अधिसूचना संख्या 07/2023 एकीकृत कर (दर) से पूरी तरह छूट दे दी गई है।

अतिरिक्त धनराशि के आबंटन के संबंध में, बजट पूर्व सुझावों पर विचार करने के बाद, नियमित बजट 2024-25 दिनांक 23.07.2024 को संसद में प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2020-21 से अंतरिक्ष विभाग के लिए बजट आबंटन निम्नानुसार है:

अंतरिक्ष विभाग	**आबंटन (करोड़ रुपए में)**
ब.प्रा. 2024-25	13042.75
सं.प्रा. 2023-24	11070.07
2022-23 (वास्तविक)	10139.43
2021-22 (वास्तविक)	12473.84
2020-21 (वास्तविक)	9474.41

अंतरिक्ष उद्योग के लिए उत्पादन-योजित योजना के स्थान पर पीएलआई योजना की मांग के संबंध में, सरकार घरेलू अंतरिक्ष स्टार्ट-अप्स और अंतरिक्ष उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र/उप-क्षेत्र के लिए निवेश प्रोत्साहन योजना शुरू करने पर विचार कर रही है। अंतरिक्ष आयोग ने अपनी 152वीं बैठक में इस प्रस्ताव पर विस्तार से विचार-विमर्श किया और कुछ शर्तों और अनुमोदन के अधीन अधिसूचित अंतरिक्ष उत्पादों, प्रणालियों और घटकों के विनिर्माण के लिए ग्रीनफील्ड विनिर्माण सुविधा की स्थापना के लिए निवेश प्रोत्साहन योजना के लिए 600 करोड़ रुपये के परिव्यय को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है।

निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और सहायता प्रदान करने के लिए IN-SPACe द्वारा विभिन्न योजनाओं की घोषणा और कार्यान्वयन किया गया है, जैसे कि सीड फंड स्कीम, मूल्य निर्धारण समर्थन नीति, मेंटरशिप सहायता, गैर-सरकारी संस्थाओं के लिए डिजाइन लैब, अंतरिक्ष क्षेत्र में कौशल विकास, इसरो सुविधा उपयोग सहायता करना, गैर-सरकारी संस्थाओं को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करना।

(ङ): अंतरिक्ष उद्योग को प्रदान की गई अन्य सीमा शुल्क और जीएसटी छूट/रियायतें इस प्रकार हैं:

(i) उपग्रहों और पेलोड्स तथा ऐसे उपग्रहों और पेलोड्स के परीक्षण के लिए जमीनी उपकरणों को मूल सीमा शुल्क और एकीकृत जीएसटी से पूर्ण रूप से छूट प्रदान की गई है।

(ii) प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों और पेलोड्स के लिए आवश्यक वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरणों, तंत्र, उपकरण, सहायक उपकरण, भागों, घटकों, पुर्जों, औजारों, मॉक अप्स और मॉड्यूल, कच्चे माल और उपभोग्य सामग्रियों पर 5% की रियायती मूल सीमा शुल्क दर और 5% की रियायती जीएसटी दर प्रदान की गई है।

*****